भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2909
उत्तर देने की तारीख 12.12.2024

केरल के कयर बुनकर

2909. एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नाममात्र मजदूरी और कम रोजगार दिवसों के कारण कयर बुनकरों की दुर्दशा से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने नोट किया है कि केरल में कयर बुनकरों की दैनिक मजदूरी पिछले कई वर्षों से संशोधित नहीं की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार कयर क्षेत्र में संकट की स्थिति को दूर करने और कयर बुनकरों की दैनिक मजदूरी को संशोधित करने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार करेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) और (ख): कयर श्रमिकों को नाममात्र मजदूरी का प्रशासन, कयर बोर्ड, एमएसएमई मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय द्वारा नहीं किया जाता है। केरल सरकार समय-समय पर निर्माताओं द्वारा श्रमिकों को भुगतान किए जाने वाले न्यूनतम मजदूरी को अधिसूचित करती है।

(ग) 'कयर विकास योजना' के अंतर्गत घरेलू बाजार संवर्धन अवयव के माध्यम से कयर बोर्ड, कयर क्षेत्र में राज्य सहायता-प्राप्त संगठनों जैसे शीर्ष सहकारी समितियों, केंद्रीय सहकारी समितियों, प्राथमिक सहकारी समितियों, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसई), शोरूम, बिक्री डिपो आदि के लिए राज्य सरकारों को बाजार विकास सहायता (एमडीए) प्रदान करता है।

एमडीए, विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान कयर उत्पादों की औसत वार्षिक बिक्री के 10% की दर से प्रदान किया जाता है और इसे केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के बीच 1:1 के आधार पर साझा किया जाता है।

*****